अनुस्मारक पत्र

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या-5/2017/13/5/1998टी0सी0-का-1-2017

प्रेषक,

अशोक कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 21 जुलाई, 2017

विषय :-सरकारी सेवकों द्वारा चल तथा अचल सम्पत्ति का विवरण नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

क़पया उपरोक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2017/13/5/1998टी0सी0-का-1-2017, दिनांक 21 मार्च, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त सन्दर्भित शासनादेश द्वारा सभी सरकारी सेवकों से दिनांक 15.03.2017 की स्थिति के अनुसार उनकी चल तथा अचल सम्पत्ति का विवरण तत्काल प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया था। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-24 एवं सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रारूप संख्या-I एवं II संलग्न कर प्रेषित करते हुए यह अपेक्षा की गयी थी कि कृपया अपने विभाग की उपरोक्तानुसार वांछित सूचना/विवरण दिनांक 03.04.2017 तक अपने स्तर पर प्राप्त कर लें तथा कृत कार्यवाही की समेकित सूचना प्रारूप संख्या-II पर दिनांक 06.04.2017 तक कार्मिक अनुभाग-1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

3. उक्त सन्दर्भित शासनादेश द्वारा वांछित समेकित / सम्पूर्ण सूचना अभी तक कार्मिक अनुभाग-1 को उपलब्ध नहीं कराई गई है। अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने विभागों से सम्बन्धित अद्यतन वांछित समेकित / सम्पूर्ण सूचना प्रारूप संख्या-II पर विलम्बतम् 31 जुलाई, 2017 तक कार्मिक अनुभाग-1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सूच्य है कि प्रश्नगत कार्यवाही राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। इस पर आपका व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट है।

भवदीय,
अशोक कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।